

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आव-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई सहायन विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या-जी-502/आई0बी0/22ए-108बी/अनु0-94/पूँजीलेखा/आवटन/4711/2018-19,
कार्यालय झाप

लखनऊ दिनांक सितम्बर 18 2018

शासनादेश संख्या-349/2018/2172/सत्ताईस-सिं-2-2018-111बजट/2018-17, दि०-07.09.2018 द्वारा 01 अक्टूबर चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के आव-व्ययक के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत प्राविधानित एकमुश्त (भालू) बजट व्यवस्था में से रु 150.00 लाख (रु एक करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः शासन से उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप सिंचाई विभाग के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को उक्त धनराशि परियोजना पर व्यय करने हेतु निम्नानुसार धनावंतन/प्राधिकृत किया जाता है :-

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	लेखाशीर्षक एवं योजना का नाम	मुख्य अभियन्ता संगठन	आवंटित धनराशि
1	2	3	4
	अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 09-कटाव निरोधक योजनाएं 0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएं (रा०से०) 24-वृहत निर्माण कार्य		
1	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के दाएँ तट पर बोक्टा बरवार बांध के किमी०-7.500 से 7.725 के मध्य बरहुआ कटान स्थल पर बाढ़ बचाव कार्य की परियोजना। (Latitude-26°44'34.00"N and Longitude:-83°18'10.55"E)	गण्डक, गोरखपुर।	150.00

(रु एक करोड़ पचास लाख मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-07.09.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है। शासनादेश दिनांक-07.09.2018 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-1 से 25 तक अंकित निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा परियोजना पर धनराशि का व्यय, आवंटित धनराशि की सीमा के अन्दर रखते हुए एवं किसी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं की जायेगी।

कुपाल कुलश्रेष्ठ
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या-जी-502/(1)/आई0बी0/तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल सहायन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (पूर्व) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सि०वि०, उ०प्र०, गोरखपुर।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) गण्डक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
10. प्रशासनिक अधिकारी (बजट)/कट फाईल हेतु।

13/9/18
हिमन्त कुमार गुप्ता
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।